भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 289

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद

289. श्री वरुण चौधरीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक इस पर खर्च किए गए बजट का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) हरियाणा राज्य में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और तकनीकी उन्नति के संदर्भ में जिलावार क्या प्रभाव हुआ है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की बिना किसी वित्तीय घटक की एक पहल है। सभी राज्यों के ओडीओपी उत्पादों के लिए विभिन्न एजेंसियों के सहयोग, ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग अभियान, ओडीओपी उत्पादों की ब्रांडिंग और विभिन्न प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए राज्य सरकारों को क्षमता निर्माण पहल के तहत सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकारें ओडीओपी उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए चल रही स्कीमों (केंद्र या राज्य) का उपयोग कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हरियाणा के 22 जिलों में 204 ओडीओपी आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (एमएफपीई) को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अन्तर्गत सहायता दी गई है। हरियाणा में वर्ष 2020-21 से ओडीओपी आधारित एमएफपीई के लिए अनुदान सहायता के रूप में व्यय किया गया कुल बजट 6,82,40,479/- रुपये है। डीपीआईआईटी के पास हरियाणा में आर्थिक विकास, रोजगार, नवप्रयोग अथवा प्रौद्योगिकी के रूप में इसके प्रभाव संबंधी विशिष्ट जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

*****